न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 86/2016 जिला सीकर

1. भागीरथ
2. भींवाराम
   पुत्रगण धन्ना राम जाति जाट, निवासी ढाणी स्वयं तन चौमू पुरोहितान, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बिडदूराम
2. चन्दाराम
   पुत्रगण भागू समस्त जाति जाट, निवासी ग्रम लांपूवा, तहसील श्रीमाधापुर, जिला सीकर ।
3. तहसीलदार , तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 15.6.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रेम प्रकाश शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री भंवर सिंह चौधरी

निर्णय

दिनांक–13.6.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 15.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि जिला कलक्टर सीकर के आदेश क्रमांक भू.अ./5679 दिनांक 11.8.2006 की अनुपालना में दिनांक 25.8.2006 को राजस्व ग्रम चौमु पुरोहितान के आराजी खसरा नम्बर 705 रकबा 2.28 बारानी 3 में मौके पर बहमराह पुलिस निरीक्षक रींगस मय जाब्ता, गिरदावर हल्का रींगस एवं पटवारी हल्का चौमु पुरोहितान मौके पर पहुँच कर उपस्थित खातेदार चन्दाराम पि. मांगू हिस्सा 24/57 एवं बिडदू पि. मांगू हिस्सा 33/57 कौम जाट सा. लांपुवा की उपस्थिति में पूर्व सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाकर मुताबिक नजरी नक्शा तीन पुख्ता पत्थर लगवाकर मौका फर्द पढकर सुनाई गई तथा उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा करवाए गए । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मौका पत्थरगढी तैयार की गई ।

फर्द मौका तहसीलदार श्रीमाधापुर दिनांक 25.8.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट भागीरथ व भींवाराम द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अति. कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 15.6.2015 द्वारा चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 25.8.2006 को आज्ञापक आदेश नहीं होने तथा यह पूर्ववर्ती सीमाज्ञान आदेश की पालना में मौके पर तैयार की गई रिपोर्ट मात्र होने से न्यायालय की नजर में यह अपने आप में अपीलीय नहीं है । यदि इसे अपीलीय मानकर अपास्त किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि मौके पर सीमा की पुनः पूर्ववत पुर्नस्थापना, जो कि पहले से ही विवादास्पद है । अपील इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई कि पक्षकार वादग्रस्त सीमा के निर्धारण एवं स्वत्व के निर्धारण के लिये सक्षम न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र होगें तथा सक्षम स्तर से न्यायिक प्रकिया के अनुसार सीमा अथवा विवाद के निस्तारण में उक्त कार्यवाही दिनांक 25.6.2008 का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा ।

अति. कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 15.6.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अपर जिला कलक्टर सीकर दिनांक 15.6.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट की आराजी ग्रम चौमू पुरोहितान , तहसील श्रीमाधोपुर की तन में स्थित खसरा नम्बर 704 रकबा

3.00 है जिसके साबिक खसरा नम्बर 111 व 112 मीन , रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 705 रकबा 2.28 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 106 मीन रकबा 9 बीघा, वर्तमान खसरा नम्बर 706 रकबा 1.92 है. साबिक खसरा नमबर 706 रकबा 1 बीघा अवस्थित है । खसरा नम्बर 106 की भूमि पूर्व में सिवायचक सरकारी भूमि थी । पूर्व में खसरा नम्बर 704 साबिक खसरा नम्बर 111,112 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से ही जीवा, जग्गु, घीसा पुत्रगण ईसरा जाति जाट के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी । उक्त सम्पूर्ण भूमियॅा एक दूसरे के सीवं जोड ही अवस्थित है, जीवाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उसके पुत्रगण औंकार, गणपत से खसरा नम्बर 704 की भूमि नारायण ने क्रय की तथा नारायण के द्वारा विक्रय की जाने पर उक्त भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिस पर अपीलान्ट 50 वर्षों से काबिज काश्त है । द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान गलत नक्शा ट्रेस बन जाने एवं रेस्पों. सं. 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा खसरा नं. 704 की गलत रूप से खातेदारी प्राप्त करने के कारण अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट के मध्य अनबन चली आ रही है तथा न्यायालय में विवाद चल रहा है । खसरा नम्बर 705 के उत्तरी पूर्वी कौने के तीन बीघा पक्की भूमि अर्थात 0.75 है. पर अपीलान्ट कई वर्षों से काबिज होकर मकानात, पानी का होद , लैट्रीन, छान, झूपे आदि बना रखे हैं । उक्त भूमि बाबत दावा उनवानी भींवाराम बनाम बिडदूराम न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष विचाराधीन है तथा विवादित भूमि में इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के समक्ष उनवानी भींवाराम नाम बिडदूराम विचाराधीन है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण की वास्तविक स्थिति को नजरन्दाज करते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढी की जाकर अपीलान्ट को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने पत्थरगढी करने की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 25.8.2006 को आदेश नहीं मानकर उसकी अपील नहीं होना माना जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.6.15 पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश केवल मात्र सम्भावना के आधार पर पारित किया गया आदेश है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की पत्थरगढी दिनांक 25.8.2006 को जिला कलक्टर सीकर के आदेश क्रमांकः भू.अ./5679 दिनांक 11.8.2006 की अनुपालना में पूर्व में मौके पर बहमराह पुलिस निरीक्षक रींगस मय जाब्ता, गिरदावर हल्का रींगस एवं पटवारी हल्का चौमु पुरोहितान मौके पर पहुँच कर उपस्थित खातेदार चन्दाराम पि. मांगू हिस्सा 24/57 एवं बिडदू पि. मांगू हिस्सा 33/57 कौम जाट सा. लांपुवा की उपस्थिति में पूर्व सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाकर मुताबिक नजरी नक्शा तीन पुख्ता पत्थर लगवाकर मौका फर्द पढकर सुनाई गई तथा उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा करवाए गए । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मौका पत्थरगढी तैयार की गई थी । उक्त पत्थरगढी रिपार्ट के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.15 द्वारा पत्थरगढी रिपोर्ट को अपीलीय नहीं मानते हुये इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई कि पक्षकारान वादग्रस्त सीमा के निर्धारण एवं स्वत्व के निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र होगें तथा सक्षम स्तर से न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार सीमा अथवा विवाद के निस्तारण में उक्त कार्यवाही दिनांक 25.6.2008 का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक होने से यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि की पत्थरगढी संबंधी विवाद है । जिला कलक्टर सीकर के आदेश क्रमांक भू.अ./5679 दिनांक 11.8.2006 की अनुपालना में दिनांक 25.8.2006 को राजस्व ग्रम चौमु पुरोहितान के आराजी खसरा नम्बर 705 रकबा 2.28 बारानी 3 की पूर्व सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाकर फर्द मौका पत्थरगढी तैयार की गई । उक्त पत्थरगढी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 25.8.2006 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील में न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 15.6.2015 पारित कर चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 25.8.2006 कोई आज्ञापक आदेश नहीं होने तथा यह पूर्ववर्ती सीमाज्ञान आदेश की पालना में मौके पर तैयार की गई रिपोर्ट मात्र होने से न्यायालय की नजर में यह अपने आप में अपीलीय नहीं है । यदि इसे अपीलीय मानकर अपास्त किया जाता है तो इसका

अर्थ होगा मौके पर सीमा की पुनः पूर्ववत पुर्नस्थापना , जो कि पहले से ही विवादास्पद है । अपील इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई कि पक्षकार वादग्रस्त सीमा के निर्धारण एवं स्वत्व के निर्धारण के लिये सक्षम न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र होगें तथा सक्षम स्तर से न्यायिक प्रकिया के अनुसार सीमा अथवा विवाद के निस्तारण में उक्त कार्यवाही दिनांक 25.6.2008 का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि में हकों के निर्धारण हेतु वाद न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के समक्ष उनवानी भींवाराम बनाम बिडदूराम तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) रींगस के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.4.2014 के खिलाफ अपील उनवानी भींवाराम बनाम बिडदूराम विचाराधीन है, जिनमें ही विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी मौका रिपोर्ट दिनांक 25.8.2006 के खिलाफ अपीलार्थी भागीरथ द्वारा अपील की थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.15 पारित किया कि ''चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 25.8.2006 को आज्ञापक आदेश नहीं होने तथा यह पूर्ववर्ती सीमाज्ञान आदेश की पालना में मौके पर तैयार की गई रिपोर्ट मात्र होने से न्यायालय की नजर में यह अपने आप में अपीलीय नहीं है । यदि इसे अपीलीय मानकर अपास्त किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि मौके पर सीमा की पुनः पूर्ववत पुर्नस्थापना, जो कि पहले से ही विवादास्पद है । अपील इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि पक्षकार वादग्रस्त सीमा के निर्धारण एवं स्वत्व के निर्धारण के लिये सक्षम न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र होगें तथा सक्षम स्तर से न्यायिक प्रकिया के अनुसार सीमा अथवा विवाद के निस्तारण में उक्त कार्यवाही दिनांक 25.6.2008 का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा'' । हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2015 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किया जाना उचित मानते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 13.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर